भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1783

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर देने के लिए

निकेल

†1783. डॉ. अमर सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि देश निकेल धातु के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो यह ध्यान में रखते हुए कि हिंद महासागर के समुद्र तल में भारत की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में निकेल मौजूद है, सरकार द्वारा देश में निकेल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों में अग्रणी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): जी, हां। निकेल के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर नहीं है।

(ख) और (ग): निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने दिनांक 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है।

उक्त संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण खनिजों जिनमें निकेल शामिल है, के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। उक्त संशोधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और खनन में वृद्धि करना तथा उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की उन्नति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। वे कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन को शक्ति देने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जो 2070 तक भारत की 'निवल शून्य' प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगी।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी से कई प्रमुख लाभ मिलते हैं, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और भारत की औद्योगिक एवं तकनीकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों का विकास शामिल है। यह इन खनिजों की एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में एक कदम है तथा वर्धित आर्थिक विकास में योगदान देता है।

केंद्र सरकार ने दिनांक 29.11.2023 को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 20 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है जिसमें निकेल के तीन ब्लॉक और संबंधित खनिज शामिल हैं।

केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के अलावा, महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के गवेषण को और बढ़ावा देने के लिए 29 महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों हेतु एक नई खनिज रियायत नामतः गवेषण अनुज्ञप्ति शुरु की गयी है। सतही या थोक खनिजों की तुलना में कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों का पता लगाना और खनन करना कठिन है। देश अधिकतर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है। नीलामी के माध्यम से दिया गया गवेषण लाइसेंस लाइसेंसधारक को एमएमडीआर अधिनियम की नई अंतर्विष्ट सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण प्रचालन करने की अनुमति देगा।

एक सक्षम तंत्र बनाने के लिए गवेषण लाइसेंस प्रत्याशित है जिसमें छोटी-छोटी खनन कंपनियां गवेषण डेटा के अधिग्रहण, प्रसंस्करण और विवेचन में पूरे विश्व से विशेषज्ञता लाएंगी और विशेषज्ञता एवं नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से गभीरस्थ खनिज निक्षेपों की खोज में जोखिम लेने की क्षमता का लाभ उठाएंगी।

इसके अलावा, अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 को ओएएमडीआर (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से दिनांक 17.08.2023 से संशोधित किया गया है, जिसके द्वारा नीलामी व्यवस्था को पारदर्शी और गैर-विवेकाधीन प्रक्रिया के माध्यम से प्रचालन अधिकारों के शीघ्र आवंटन को सक्षम बनाने हेतु अपतटीय क्षेत्रों में प्रचालन अधिकारों के आवंटन की विधि के रूप में शुरू किया गया है। साथ ही, खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक न्यास स्थापित करने और गवेषण को प्रोत्साहित करने, विवेकाधीन नवीनीकरण की प्रक्रिया को हटाने और पचास वर्षों की एक समान पट्टा अवधि प्रदान करने, संयुक्त लाइसेंस की शुरूआत करने, क्षेत्र-सीमा मुहैय्या कराने और संयुक्त लाइसेंस या उत्पादन पट्टे के आसान अंतरण हेतु प्रावधान किए गए हैं।

उक्त संशोधन का उद्देश्य निकेल सहित अपतटीय क्षेत्रों में खनिज क्षमता का दोहन और उपयोग करना है।

***